न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/कैम्प कोर्ट)
[illegible]

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा

दायर दि० 17-6-19
फैसल दि० 17-6-19

ण संख्या / / 2018

श्री दशरथ पिता धूलजी अनवान बनाम भूमिधारी (पटवारी) [illegible]

(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री दशरथ पिता धूलजी ने वाद प्रस्तुत कर मोजा आरा के खाता नम्बर 583 जमाबन्दी सं0 2074-77 में अंकित स्वयं/पिता का नाम लाला / धूलजी गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम दशरथ पिता धूलजी है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम लाला धूलजी दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है । प्रार्थी द्वारा स्वंय/पिता का सही नाम दशरथ पिता धूलजी होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एंव पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एंव प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा आरा की जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता संख्या 583 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम लाला / धूलजी में संशोधन कर सही नाम दशरथ / धूलजी दर्ज रेकॉड किया जावे। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

[illegible]

Scanned by CamScanner